

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 314 / 2015
 संस्थापित दिनांक 29 / 05 / 2015
 फाइलिंग नं. 23030300668 / 2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. महेश शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी बीलपुरा हाल मकान नं. 230 फोस 2 कुन्जबिहार धर्मवीर पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली ग्वालियर म.प्र.
2. नवल किशारे शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा उम्र 29 वर्ष निवासी बीलपुरा हाल मकान नं. 230 फोस 2 कुन्जबिहार धर्मवीर पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली ग्वालियर म.प्र.

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 324 भा.दं.सं)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)
 (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राजीव शुक्ला 1)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 20 / 02 / 17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 18 / 05 / 15 को रात्रि करीबन डेढ़ बजे फरियादी वासुदेव शर्मा के दरवाजे पर ग्राम वीरपुरा में फरियादी वासुदेव शर्मा की आक्रामक धारदार आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं उसी समय बीच-बचाव करने आयी शीला बाई की लाठियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 324 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 18 / 05 / 15 को रात्रि करीबन डेढ़ बजे की बात है। आरोपी महेश शर्मा एवं नवल शर्मा फरियादी वासुदेव के पास आये थे और उन्होंने वासुदेव से जमीन का हिस्सा मांगा था। फरियादी वासुदेव ने चारों लड़कों को हिस्सा देने के लिए कहा था। इस बात पर आरोपी महेश और नवलकिशोर ने उसकी लाठियों से मारपीट की थी जिससे उसके सिर, दोनों हाथ एवं पसली में चोटें आयी थीं, उसके सिर से खून निकलने लगा था उसकी पत्नी शीला बाई बचाने आयी थी तो दोनों आरोपीगण ने शीलाबाई की लाठियों से मारपीट की थी जिससे शीलाबाई

के बांये हाथ तथा जगह-जगह चोटें आयी थीं। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अदम चैक क्र. 130/15 लेखबद्ध की गयी थी। फरियादी वासुदेव एवं आहत शीलाबाई को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। फरियादी वासुदेव की चिकित्सीय रिपोर्ट में वासुदेव को आयी चोट धारदार आयुध से आना लेखबद्ध होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र. 145/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है।

5. ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी वासुदेव एवं आहत शीलाबाई द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही आहत शीलाबाई की मारपीट के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र फरियादी वासुदेव शर्मा की मारपीट के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत विचारण शेष है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या घटना दिनांक 18/05/15 को फरियादी वासुदेव के शरीर पर उपहतियां थीं? यदि हां तो उनकी प्रकृति?
2. क्या उक्त उपहतियां फरियादी वासुदेव को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया कारित की गयीं?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी वासुदेव अ.सा.1, शीलाबाई अ.सा. 2, डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 3, ए.एस.आई. ऊदल सिंह भदौरिया अ.सा. 4 एवं बाबूलाल अ.सा. 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से साक्षी रामगोपाल वा.सा. 1 एवं शिवकांत वा.सा. 2 को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 18/05/15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक उपेन्द्र द्वारा लाये जाने पर आहत वासुदेव का चिकित्सीय परीक्षण किया गया एवं परीक्षण के दौरान उसने वासुदेव के शरीर पर सात चोटें पायी थीं, जिनमें से चोट क्र. 1. दांये कंधे पर सूजन, चोट क्र. 2 बाईं तरफ छाती में लाल गूमड़ा, चोट क्र. 3 दाहिने स्केपुला पर लाल

गूमड़ा, चोट क्र. 4 बांये पैर में पीछे की तरफ खरोंच, चोट क्र. 5 सिर में दाहिने तरफ पैराइटल रीजन में आगे की तरफ कटा हुआ घाव एवं चोट क्र. 6 सिर में दाहिने पैराइटल रीजन में पीछे की तरफ कटा हुआ घाव एवं चोट क्र. 7 बांयी जांघ पर लाल गूमड़ा स्थित थी। उसके मतानुसार चोट क्र. 5 एवं 6 कठोर धारदार हथियार से आना सम्भावित थी शेष सभी चोटें सख्त एवं मोथरी वस्तु से आना सम्भावित थी। चोट क्र. 1 एवं 2 की प्रकृति को जानने के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं एवं उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 से 24 घण्टे के अंदर थी एवं उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया है कि उसने आहत वासुदेव का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने वासुदेव के कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वासुदेव को आयी चोट नुकीले पत्थर पर गिरने से आना सम्भव है।

9. फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने भी झगड़े के दौरान उसके सिर एवं हाथ पैर में चोट आना बताया है। आहत शीलाबाई अ.सा. 2 ने भी वासुदेव के सिर में चोटें आना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन वासुदेव के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्रदर्श पी 1 की अदम चैक एवं प्रदर्श पी 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी वासुदेव के शरीर पर चोटें होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 के कथन की पुष्टि प्रदर्श पी 1 की अदम चैक एवं प्रदर्श पी 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी हो रही है। उक्त बिन्दु पर फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 का कथन समर्थन आहत शीलाबाई अ.सा. 2 एवं डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 3 द्वारा भी किया गया है। डॉ. धीरज गुप्ता अ.सा. 3 चिकित्सीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी है, उसकी फरियादीगण से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी वासुदेव के शरीर पर उपहति होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

10. फलतः उपरोक्त बिंदु पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी वासुदेव के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति साधारण थी।

विचारणीय प्रश्न क्र. -2

11. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 18/05/15 को रात्रि डेढ़ की है वह और उसकी पत्नी छत पर कमरे में सो रहे थे। आरोपी महेश ने नीचे से आवाज लगाकर दरवाज खोलने के लिए कहा था तो उसकी पत्नी ने जीने के किवाड़ खोल दिये थे। आरोपी महेश ने उससे कहा था कि ग्वालियर चलता है तो उसने कहा था कि वह रात्रि के डेढ़ बजे नहीं जा सकता है फिर वह नीचे दरवाजे पर आकर बैठ गया था फिर नवलकिशोर गाड़ी से बाहर आ गया था। दोनों आरोपीगण ने उसके हाथपैर पकड़कर उसकी खींचतान की थी लेकिन आरोपीगण उसे गाड़ी में नहीं ले जा पाये थे, क्योंकि उसने अपनी खाट को पकड़ लिया था। आरोपी नवलकिशोर और महेश ने सरिया लाठी से उसकी मारपीट की थी, उसका सिर सरिया व लाठी से फूट गया था, उसकी पत्नी उसे बचाने आयी थी और उसके ऊपर लेट गयी थी तो आरोपीगण ने उसकी पत्नी शीलाबाई की भी मारपीट की थी। आरोपीगण सारी जमीन बेचकर उन्हें पैसे देने को कह रहे थे। इसी कारण उनकी मारपीट की थी।

गांव वालों को गालियां दी थीं इसके बाद आरोपीगण भाग गये थे फिर पड़ोसी आ गये थे उन्होंने 108 को फोन किया था फिर वह 108 से थाने आये थे जहां उसने घटना की रिपोर्ट की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि झगड़े के समय बाबूलाल, सियाराम, रामनिवास एवं रामशंकर थे। झगड़े के पास कोई नहीं आया था वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट पुलिस वालों ने उसे पढ़कर सुनाई थी या नहीं क्योंकि उस समय उसकी स्थिति ठीक नहीं थी वह सात आठ दिन अस्पताल में रहा था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के दिन नवल व महेश ड्यूटी पर थे।

12. आहत शीलाबाई अ.सा. 2 ने भी फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा वासुदेव की मारपीट किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है।

13. साक्षी बाबूलाल अ.सा. 5 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने वासुदेव की मारपीट की थी। इस प्रकार साक्षी बाबूलाल अ.सा. 5 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन घटना को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14. ए.एस.आई. ऊदल सिंह भदौरिया अ.सा. 4 ने प्रदर्श पी 1 की अदम चैक एवं प्रदर्श पी 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

16. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी रामगोपाल वा.सा. 1 एवं शिवकांत वा.सा. 2 को परीक्षित कराया गया है। रामगोपाल वा.सा. 1 एवं शिवकांत वा.सा. 2 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना के दिन दोनों आरोपीगण गांव में नहीं थे, अपनी ड्यूटी पर थे। कोई झगड़ा नहीं हुआ था। फरियादी ने आरोपीगण पर झूठा प्रकरण लगाया है।

17. सर्वप्रथम बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी वासुदेव एवं आहत शीलाबाई एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा स्वतंत्र साक्षी बाबूलाल अ.सा. 5 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है साक्षी बाबूलाल अ.सा. 5 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से समपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि फरियादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हैं तो मात्र इस कारण फरियादी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि फरियादी के कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 एवं

शीलाबाई अ.सा. 2 के कथन इतने विश्वसनीय हैं कि जिसके कारण आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित किया जा सकता है।

18. फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वह और उसकी पत्नी सो रही थी तो आरोपी महेश ने नीचे से आवाज लगाकर दरवाजा खोलने के लिए कहा था तो उसकी पत्नी ने जीने से दरवाजे खोल दिये थे। महेश ने उससे ग्वालियर चलने को कहा था तो उसने मना कर दिया था फिर नवलकिशोर गाड़ी से बाहर आ गया था और आरोपीगण ने उसके हाथ-पैर पकड़कर उसकी खींचातानी की थी, परंतु आरोपीगण उसे गाड़ी में नहीं ले जा पाये थे, क्योंकि उसने खाट को पकड़ लिया था फिर आरोपी नवलकिशोर और महेश ने लाठी सरिये से उसकी मारपीट की थी। सरिया व लाठी से उसका सिर फूट गया था। इस प्रकार फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी महेश ने घटना वाले दिन उससे ग्वालियर चलने को कहा था फिर आरोपीगण ने हाथ पैर पकड़कर उसकी खींचातानी की थी, परंतु आरोपीगण उसे गाड़ी में नहीं ले जा पाये थे, क्योंकि उसने अपनी खाट को पकड़ लिया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने सरिये से भी उसकी मारपीट की थी, परंतु यह सब बातें फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 द्वारा अपनी अदम्य चैक प्रदर्श पी 1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 में नहीं बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 के कथन प्रदर्श पी 1 के अदम्य चैक से किंचित विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा सरिये से उसकी मारपीट करना बताया है, परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपीगण ने सरिये से उसकी मारपीट की थी प्रदर्श पी 1 के अदम्य चैक में नहीं है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी वासुदेव द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जावे अपने कथनों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, परंतु मात्र इस आधार पर उसके सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सच एवं झूठ के मिश्रण में से सच को प्रथक करे।

19. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटना को किंचित बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, परंतु फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 का कथन आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट किये जाने के बिन्दु पर सारवान रूप से तात्त्विक विरोधाभासी से परे रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त विसंगतियों के कारण फरियादी वासुदेव के सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

20. फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपी नवल किशोर और महेश द्वारा उसकी लाठी सरिये से मारपीट करना बताया है। यद्यपि प्रदर्श पी 1 के अदम्य चैक में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि आरोपीगण ने सरिये से भी मारपीट की थी, परंतु प्रदर्श पी 1 के अदम्य चैक में आरोपीगण द्वारा लाठी से मारपीट किये जाने का उल्लेख है अतः फरियादी वासुदेव 1 का कथन आरोपीगण द्वारा लाठी से मारपीट किये जाने के बिन्दु पर प्रदर्श पी 1 की अदम्य चैक से सारवान रूप से पुष्ट रहा है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी महेश एवं नवलकिशोर के विरुद्ध भरण पोषण का दावा किया है, परंतु उक्त तथ्य से अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती।

21. आहत शीलाबाई अ.सा. 2 ने भी फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 के कथन का पूर्णतः

समर्थन किया है एवं आरोपी महेश व नवलकिशोर द्वारा लाठी सरिये से फरियादी वासुदेव की मारपीट किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी का भी बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान शीलाबाई अ.सा. 2 का कथन आरोपीगण द्वारा फरियादी वासुदेव की मारपीट किये जाने के बिन्दु पर तात्त्विक विसंगतियों से परे रहा है।

22. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि घटना वाले दिन आरोपी महेश व नवल सिंह ड्यूटी पर थे। उक्त बिंदु पर बचावपक्ष की ओर से बचाव साक्षी रामगोपाल वा.सा. 1 एवं शिवकांत वा.सा. 2 को परीक्षित कराया गया है। साक्षी रामगोपाल वा.सा. 1 एवं शिवकांत वा.सा. 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी महेश व नवल घटना वाले दिन अपनी ड्यूटी पर थे गांव में नहीं थे, परंतु उक्त संबंध में आरोपीगण की ओर से कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि बचाव साक्षी रामगोपाल वा.सा. 1 एवं शिवकांत वा.सा. 2 ने यह बताया है कि दोनों आरोपीगण घटनावाले दिन गांव में नहीं थे, बल्कि अपनी ड्यूटी पर थे, परंतु फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 एवं शीलाबाई अ.सा. 2 द्वारा उक्त तथ्य से इंकार किया गया है। फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 एवं शीलाबाई अ.सा. 2 को प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि घटना वाले दिन आरोपी नवलसिंह व महेश ड्यूटी पर थे, जिसे फरियादी वासुदेव एवं शीलाबाई अ.सा. 2 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण द्वारा यह बचाव दिया गया है कि आरोपीगण घटना के समय अपनी-अपनी ड्यूटी पर थे, परंतु उक्त संबंध में कोई प्रमाण बचाव पक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त संबंध में आरोपीगण द्वारा अपने कार्यालय का प्रमाणीकरण भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आरोपीगण का यह बचाव कि घटना वाले दिन आरोपीगण अपनी-अपनी नौकरी पर थे स्वीकार योग्य नहीं है।

23. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी प्रकट किया गया है कि फरियादीगण एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से ही भरण पोषण का दावा एवं दीवानी दावा चल रहा है तथा फरियादी ने रंजिशन आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

24. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह प्रकट किया गया कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है, परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि अभियोजन द्वारा प्रकरण में विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है, परंतु विवेचक को परीक्षित न करना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं मात्र उक्त त्रुटि से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने आरोपी नवलकिशोर एवं महेश द्वारा उसकी लाठी से मारपीट करना बताया है। शीलाबाई अ.सा. 2 द्वारा भी फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 के कथन का समर्थन किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी वासुदेव की लाठियों से मारपीट करना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक

विरोधाभाषों से परे रहा है। फरियादी द्वारा घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गयी है एवं फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 का कथन तात्विक बिंदुओं पर प्रदर्श पी 1 की अदम्य चैक से भी पुष्ट रहा है। चिकित्सीय रिपोर्ट में भी फरियादी वासुदेव के शरीर के उन्हीं भागों पर चोटें होना वर्णित है जिन भागों पर मारपीट के दौरान चोटें आना फरियादी द्वारा बताया गया है इस प्रकार फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहां फरियादी का कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट हो वहां फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

26. फलतः समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को फरियादी वासुदेव की लाठी से मारपीट कर उसे उपहति कारित की।

27. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी वासुदेव को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। उक्त संबंध में ये उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य सम्पत्ति के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था एवं उसी झगड़े के दौरान आरोपीगण द्वारा फरियादी वासुदेव की लाठियों से मारपीट की गयी थी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस आयुध से फरियादी वासुदेव की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी वासुदेव को उपहति कारित होना सम्भावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी वासुदेव को उपहति कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी वासुदेव को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

28. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण पर फरियादी वासुदेव की मारपीट के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है एवं फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसकी सरिया/ लाठी से मारपीट करना बताया है। शीला बाई अ.सा. 2 ने भी आरोपीगण द्वारा वासुदेव की लाठी सरिये से मारपीट करना बताया है। यद्यपि प्रदर्श पी 3 की चिकित्सीय रिपोर्ट में फरियादी वासुदेव के सिर में दो कटे हुए घाव होने का उल्लेख है, परंतु फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 ने आरोपीगण द्वारा उसकी लाठी सरिया से मारपीट करना बताया है एवं प्रदर्श पी 1 की अदम्य चैक में भी फरियादी वासुदेव की लाठियों से मारपीट होने का उल्लेख है इस प्रकार प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी वासुदेव की लाठियों से मारपीट की गयी है एवं लाठी धारदार आयुध नहीं है। जहां तक लाठी को आक्रमक आयुध मानने का प्रश्न है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा लाठी को साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित नहीं कराया गया है एवं जप्तशुदा लाठी के आकार-प्रकार एवं तीक्ष्णता के संबंध में भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आयी साक्ष्य से लाठी को घातक आयुध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत प्रभु वि. म.प्र.राज्य ए.आई.आर. 2009 सुप्रीम कोर्ट 745 उल्लेखनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी आयुध को घातक आयुध मानने के लिए घातक आयुध का आकार, प्रकार वजन, तीक्ष्णता आदि देखे जाने होते हैं उसके बिना किसी आयुध को घातक आयुध नहीं कहा जा सकता है।

29. फरियादी वासुदेव अ.सा. 1 एवं शीलाबाई अ.सा. 2 ने आरोपीगण द्वारा लाठियों से मारपीट करना बताया है, एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य में यह दर्शित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी वासुदेव की आक्रमक धारदार आयुध से मारपीट की गयी है ऐसी स्थिति में आरोपीगण का

कृत्य भा.दं.सं. की धारा 324 की परिधि में नहीं आता है, बल्कि भा.दं.सं. की धारा 323 की परिधि में आता है।

30. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण पर फरियादी वासुदेव की मारपीट के संबंध में 324 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है, परंतु प्रकरण में आयी साक्ष्य से आरोपीगण का कृत्य भा.दं.सं. की धारा 323 की परिधि में आना दर्शित है। यद्यपि आरोपीगण पर फरियादी वासुदेव की मारपीट के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 323 का आरोप विरचित नहीं किया गया है, परंतु भा.दं.सं. की धारा 324, धारा 323 से गुरुतर है एवं भा.दं.सं. की धारा 324 में धारा 323 का अपराध भी समाहित है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण पर प्रथक से फरियादी वासुदेव की मारपीट के संबंध में भा.दं.सं. की धारा 323 का आरोप विरचित किये जाने की आवश्यकता नहीं है एवं आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत विधि अनुसार दण्डित किया जा सकता है।

31. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 18/05/15 को रात्रि करीबन डेढ़ बजे फरियादी वासुदेव शर्मा के दरवाजे पर ग्राम वीरपुरा में फरियादी वासुदेव शर्मा की लाठी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी महेश शर्मा एवं नवलकिशोर शर्मा को भा.दं.सं. की धारा 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

32. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

33. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

34. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी वासुदेव की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आरोपीगण आपस में पिता-पुत्र हैं आरोपीगण के मध्य विचारण के दौरान राजीनामा हो चुका है तथा फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं। अतः उभयपक्षों के मध्य हुए राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया

जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी महेश एवं नवल सिंह में से प्रत्येक को भा. दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत 800-800 रुपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि में व्युत्क्रम होने पर दस-दस दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।

35. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

36. प्रकरण में जप्तशुदा लाठियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड़तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

37. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं।

स्थान – गोहद

दिनांक – 20-02-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)